राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3117-II/18 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-9-2015	1— मैनें प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र. क. 59/बी—121/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2015 के विरूद्ध म. प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2— आवेदिका के विद्वान अविक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक के पिता द्वारा अभिलेख सुधार हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे आंशिक रूप से दिनांक 16.3.2014 को तहसीलदार छतरपुर द्वारा स्वीकार किया इस कारण आवेदक के पिता द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत किया । जिस कारण आवेदक के पिता द्वारा पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे निरस्त किये जाने के कारण कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे समय सीमा के बिन्दु पर निरस्त किया गया इसी आदेश से परिवेदित होकर अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी विचाराधीन थी जिसे अधिवक्ता की त्रुटि के कारण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया जिसकी संस्वीकृति आवेदक के पूर्व अधिवक्ता द्वारा की गई तथा पुनःस्थापन आवेदन पत्र के साथ उनके द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया । किन्तु अपर आयुक्त सागर द्वारा पुनः स्थापन आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिया गया जिस कारण यह निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है । मैने प्रकरण का अवलोकन किया विचाराधीन प्रकरण में कलेक्टर छतरपुर द्वारा धारा 5 का आवेदन समाधान कारक न होने से निरस्त किया है । जिसकी निगरानी अपर आयुक्त सागर द्वारा अनुपस्थिति में खारिज की तथा पुनःस्थापन आवेदन पत्र भी निरस्त किया है । जबकि आवेदक के अधिवक्ता ने दिनांक 15.11.2010 को बीमार होने का शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिस पर अविश्वास किया जाना न्याय संगत नहीं है। इस	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	प्रकार प्रकरण का मूलतः निराकरण किया जाना पाया जाता है । अतएव अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.8.2015 तथा कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.9.2007 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी अंशतः स्वीकार करते हुए अपर आयुक्त सागर एवं कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर करें । तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

-762-–26-2-07-20.000.

निग/3117/IV/15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

सरनजीतसिंह तनय जागीरसिंह
निवासी झांसी रोड, छतरपुर जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/8/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सौरां स्थित भूमि खसरा क्र 1323 से लगायत 1330 कुल किता 8 कुल रकवा 1.422 हे. भूमि अपीलार्थी की पैत्रिक भूमि है जिसका बंदोबस्त के उपरांत रकवा 1.230 हे कर दिया गया जिस कारण से अपीलार्थी के पिता द्वारा रकवा सुधार किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर दिनांक 16/3/04 को अभिलेख सुधार किए जाने का आदेश दिया गया जिसके आधार पर अपीलार्थी के पिता द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार छतरपुर द्वारा विधि विपरीत तरीके से निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा एक अपील कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे कलेक्टर छतरपुर द्वारा समय अवधि के बिन्दु पर निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की जो कि अधिवक्ता की गलती के कारण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को नहीं दी गयी तथा बाद में अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव द्वारा स्वंय का शपथपत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को पुर्नस्थापित किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।